रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2006/ज्येष्ठ 12, 1928
No. 94] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2006/JYAISTHA 12, 1928

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 26 मई, 2006

फा. सं. 4/1/1/2003/आई आर/सं. एक्जिम/सर्विस/2004.—भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 28) की धारा 27 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय निर्यात-आयात बैंक का निदेशक मंडल, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निर्यात-आयात बैंक अधिकारी सेवा विनियमावली, 1982, में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात् :

1. (1) ये विनियम निर्यात-आयात बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2005 कहलायेंगे;

(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. निर्यात-आयात बैंक अधिकारी सेवा विनियमावली, 1982 (इसमें इसके पश्चात प्रधान विनियमावली के रूप में निर्दिष्ट) में विनियम 5 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा और नीचे उल्लिखित तारीखो से प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा, अर्थात :-

" * 5 (1) विनियम 4 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित विभिन्न वेतन मानों के निर्दिष्ट वेतनवृद्धियाँ, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, वार्षिक आधार पर उपचित होंगी और जिस महीने में देय होती है उस महीने के पहले दिन को मंजूर की जाएंगी ।

* (2) सी ए आइ आइ बी परीक्षा के प्रत्येक भाग को उत्तीर्ण करने के लिए वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी ।

* बशर्ते कि अधिकारी निम्नलिखित रूप में व्यावसायिक योग्यता भत्ते के लिए पात्र होंगे :

** (i) वे अधिकारी जिन्होंने सिर्फ सी ए आइ आइ बी भाग I उत्तीर्ण की है

- 135/- रुपये प्रति माह, वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद

** (ii) वे अधिकारी जिन्होंने सी ए आइ आइ बी के दोनों भागों को उत्तीर्ण किया है

(क) 135/- रुपये प्रति माह, वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद ।

(ख) 340/- रुपये प्रति माह, वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के दो वर्ष बाद ।

** बशर्ते यह भी कि अधिकारी निम्नलिखित रूप में व्यावसायिक योग्यता भत्ते के लिए भी पात्र होंगे :

** (i) वे अधिकारी जिन्होंने सिर्फ सी ए आइ आइ बी भाग I उत्तीर्ण की है

- 150/- रुपये प्रति माह , वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद

** (ii) वे अधिकारी जिन्होंने सी ए आइ आइ बी के दोनों भागों को उत्तीर्ण किया है।

(क) 150/- रुपये प्रति माह, वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद ।

(ख) 360/- रुपये प्रति माह, वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के दो वर्ष बाद ।

* महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते तथा सेवांत लाभ की गणना के लिए व्यावसायिक योग्यता भत्ते को हिसाब में लिया जाएगा ।

*(3) (i) सभी स्थायी अधिकारी जो यथा 14 फरवरी 2001 को बैंक की सेवा में हैं और बैंक की सेवा के दौरान या सेवा ग्रहण करने से पूर्व सी ए आइ आइ बी भाग I तथा / अथवा भाग II की परीक्षा उत्तीर्ण की है, 14 फरवरी 2004 से अतिरिक्त वेतनवृद्धि (यों) तथा / या व्यावसायिक योग्यता भत्ता, इनमें से जो भी लागू हो, के लिए पात्र होंगे।

* (ii) अधिकारी जो 14 फरवरी 2001 के बाद बैंक की सेवा में स्थायी किये गये हैं और जिन्होंने बैंक की सेवा में आने के बाद सी ए आइ आइ बी भाग I तथा / भाग II की परीक्षा उत्तीर्ण की है, बैंक की सेवा में स्थायीकरण की तारीख से या सी ए आइ आइ बी I तथा / भाग II की उत्तीर्ण करने की तारीख जो भी बाद में हो, से अतिरिक्त वेतनवृद्धि (यों) तथा / या व्यावसायिक योग्यता भत्ते के लिए पात्र होंगे :

* 14.2.2001 से प्रभावी

** 15.12.2001 से प्रभावी."

3. प्रधान विनियमावली के विनियम 26 के, उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसे दिसंबर 2001 के 15 वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा अर्थात :-

"(1) महिला अधिकारी को संवर्ग पर ध्यान दिये बिना एक बार में 6 महीने की अवधि तक और सेवा की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम बारह महीने का प्रसूति अवकाश मंजूर किया जाएगा ।"

4. प्रधान विनियमावली के विनियम 33 में, उप-विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसे नीचे उल्लिखित तारीखों से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

"(4) नीचे दी गई तालिका के कॉलम I में उल्लिखित ग्रेडों / वेतनमानों अधिकारी उसके कॉलम 2 में उल्लिखित अनुरूपी दरों पर विराम भत्ते के लिए पात्र होगा :

तालिका

अधिकारी का ग्रेड/ वेतनमान	**दैनिक भत्ता (रुपये)**		
1	2		
	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
ग्रेड IV तथा उससे अधिक ग्रेड के अधिकारी	340.00* 275.00 **	270.00 * 220.00 **	240.00* 190.00**
ग्रेड I, II और III के अधिकारी	270.00* 220.00**	240.00* 190.00**	200.00* 165.00**

* 26.03.2004 से प्रभावी
** 15.12.2001 से प्रभावी."

5. प्रधान विनियमावली के विनियम 38 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा और नीचे उल्लिखित तारीखों से प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा, अर्थात

"38 (1) प्रत्येक अधिकारी बैंक द्वारा गठित भविष्य निधि का एक सदस्य बनेगा और ऐसी निधि को नियंत्रित करने वाले नियमावली द्वारा आबद्ध होने के लिए सहमत होगा ।

(2) बैंक भविष्य निधि को समय-समय पर नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान करेगा, बशर्ते कि उसके द्वार अंशदान की गई राशि

निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी ।

(i) 1.11.87 से 31.12.88 तक वेतन के 80% का 10% ;

(ii) 1.1.89 से 31.12.89 तक वेतन के 90% का 10% ;

(iii) 1.1.90 से वेतन का 10% .

* बशर्ते 1 जुलाई 1993 से लागू संशोधित वेतनमानों के अंतर्गत वेतन, 1 नवंबर 1993 से भविष्य निधि अंशदान के लिए लागू होगा ।

** बशर्ते यह भी कि "अधिसूचित तारीख" [जैसाकि भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमावली, 2000 में परिभाषित है] को तथा से -

(क) पेंशन योजना द्वारा नियंत्रित अधिकारी के मामले में भविष्य में अंशदान बैंक की ओर से किसी अनुरूपी अंशदान के बिना वेतन के 10% की दर से सिर्फ अधिकारी द्वारा किया जाएगा और

(ख) पेंशन योजना द्वारा नियंत्रित न होने वाले अधिकारी के मामले में अधिकारी द्वारा अनुरूपी अंशदान वेतन के 10% की दर से किया जाएगा ।

**(3) अधिसूचित तारीख को या उसके बाद बैंक की सेवा ग्रहण करने वाले अधिकारी पेंशन योजना द्वारा नियंत्रित होंगे।

बशर्ते अधिकारियों की निम्नलिखित श्रेणियां पेंशन योजना में शामिल नहीं होंगी ।

(क) कोई ऐसा अधिकारी जो अधिसूचित तारीख से पहले बैंक की सेवा में था जब तक कि उसने पेंशन योजना का सदस्य बनने के संबंध में बैंक की सूचना के उत्तर में पेंशन योजना का सदस्य बनने के विकल्प का विशिष्ट रूप से प्रयोग नहीं किया है, तथा

(ख) कोई ऐसा अधिकारी जिसे 35 वर्ष की आयु पर अधिसूचित तारीख को या के बाद भर्ती किया गया है और जिसने पेंशन योजना की शर्तों के अनुसार पेंशन के अपने अधिकार का परित्याग करने का विकल्प चुना है ।

टिप्पणी : भविष्य निधि के प्रयोजनार्थ 'वेतन' से मूल वेतन, व्यावसायिक योग्यता भत्ता तथा नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक अभिप्रेत होगा ।

* 1.11.1993 से प्रभावी

** 20.9.2000 से प्रभावी ."

एस. आर. राव, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन III/IV/65/2006/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा बाद में संशोधित किये गया था :-

अधिसूचना संख्या	प्रकाशन की तारीख
(1) संख्या पी एफ /एल ई जी -26/92	20-3-1993
(2) संख्या पी एफ /एल ई जी -26/92	20-3-1993
(3) संख्या पी एफ /एल ई जी -26/93	22-1-1994
(4) संख्या एविज़म/सर्विस/2004	29-3-2004
(5) संख्या एविज़म/ सर्विस/2004	17-7-2004

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

(HEAD OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th May, 2006

F. No. 4/1/1/2003/IR/No. EXIM/Service/2004.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 39, read with Section 27 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Board of Directors of the Export-Import Bank of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, further to amend the Export-Import Bank Officers' Service Regulations, 1982, namely :

1. (1) These regulations may be called the Export-Import Bank Officers' Service(Amendment) Regulations, 2005;

(2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, these regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export-Import Bank Officers' Service Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the principal regulations), for regulation 5, the following regulation shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the dates as mentioned below, namely : -

"* 5(1) The increments specified in the various scales of pay set out in Sub-regulation (1) of Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which it falls due.

* (2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of CAIIB examination:

1697GI/06-2

* Provided that officers shall be eligible for a Professional Qualification Allowance as under :

*(i) Those who have passed only CAIIB Part I

- Rs. 135/- per month after one year after reaching top of the scale.

*(ii) Those who have passed both parts of CAIIB

(a) Rs. 135/- per month after one year after reaching top of the scale.
(b) Rs. 340/- per month after two years after reaching top of the scale.

** Provided further that officers shall be eligible for a Professional Qualification Allowance as under :

** (i) Those who have passed only CAIIB Part I

- Rs. 150/- per month after one year after reaching top of the scale.

** (ii) Those who have passed both parts of CAIIB

(a) Rs. 150/- per month after one year after reaching top of the scale.
(b) Rs. 360/- per month after two years after reaching top of the scale.

* Professional Qualification Allowance shall rank for dearness allowance, house rent allowance and terminal benefits.

*(3)(i) All confirmed officers who are in the service of the Bank as on February 14, 2001 and have passed Part I and/or Part II of CAIIB during, or prior to joining the service of the Bank, will be eligible for additional increment(s) and/or Professional Qualification Allowance, as applicable, with effect from February 14, 2001.

* (ii) Officers who are confirmed in the service of the Bank after February 14, 2001, and who pass Part I and/or Part II of CAIIB after joining the Bank's Service will be eligible for the additional increment(s) and/or Professional Qualification Allowance as applicable from the date of confirmation in Bank's service or date of passing Part I/Part II of CAIIB, whichever is later.

* Effective from 14.2.2001
** Effective from 15.12.2001."

3. In regulation 26 of the principal regulations, for sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 15th Day of December 2001, namely :-

"(1) Maternity Leave may be granted to a female officer upto a period of six months at a time and not more than twelve months during the entire period of service irrespective of cadre."

4. In regulation 33 of the principal regulations, for sub-regulation (4) the following sub-regulation shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the dates as mentioned below, namely : -

"(4) An officer in the Grades/Scales set out in column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof :

TABLE

Grades/Scales of Officers	**Daily Allowance (Rupees)**		
1	2		
	Major 'A' Class cities	Area I	Other Places
Officers in Scale IV and above	340.00* 275.00**	270.00* 220.00**	240.00* 190.00**
Officers in Scale I, II and III	270.00* 220.00**	240.00* 190.00**	200.00* 165.00**

* Effective from 26.03.2004
** Effective From 15.12.2001."

5. For regulation 38 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the dates mentioned below, namely : -

"38 (1)Every officer shall become a member of the Provident Fund constituted by the Bank and shall agree to be bound by the rules governing such Fund.

(2) The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the Provident Fund from time to time, provided that the amount contributed by it shall not be more than,

i) 10% of 80% of pay from 1.11.87 to 31.12.88;

ii) 10% of 90% of pay from 1.1.89 to 31.12.89;

iii) 10% of pay from 1.1.90 onwards.

* Provided that the pay, under revised scales effective from the 1st day of July, 1993, shall apply for Provident Fund Contributions effective from the 1st day of November, 1993.

** Provided further that on and from the 'Notified Date' [as defined in the Export-Import Bank of India (Employees') Pension Regulations, 2000],-

(a) in case of an officer governed by the Pension Scheme, contribution to the Provident Fund shall be made only by the officer at the rate of 10% of pay without any matching contribution on the part of the Bank; and

(b) in case of an officer not governed by the Pension Scheme, contribution to Provident Fund by the officer and a matching contribution by the Bank shall be made at the rate of 10% of pay.

** (3) Officers joining the Bank's services on or after the Notified Date shall be governed by the Pension Scheme.

Provided that the following categories of officers shall not be covered by the Pension Scheme :

(a) an officer who was in service of the Bank prior to the Notified Date, unless he has specifically exercised an option to become member of the Pension Scheme in response to Bank's notice to that effect; and

(b) an officer who is recruited on or after the Notified Date at the age of 35 years and above, and who has elected to forego his right to Pension in terms of the Pension Scheme.

Note : 'Pay' for the purpose of Provident Fund shall mean basic pay, professional qualification allowance and increment component of fixed personal allowance.

* Effective from 1.11.1993
** Effective from 20.9.2000."

S. R. RAO, Chief General Manager

[ADVT III/IV/65/2006/Exty.]

Foot Note :- The principal regulations were subsequently amended vide following notifications published in the Gazette of India, Part III, Section 4:-

Notification No.	Date of Publication
(1) No. PF/LEG-26/92	20-3-1993
(2) No. PF/LEG-26/92	20-3-1993
(3) No. PF/LEG-26/93	22-1-1994
(4) No. EXIM/Service/2004	29-3-2004
(5) No. EXIM/Service/2004	17-7-2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.